न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 - 09/2018

अनवान : -

1. ताराचन्द पुत्र दलीप पुत्र हरफुल जाति खाती निवासी मोजाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– **वादी**

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र गोपाल जाति खाती निवासी मोजाना तहसील भादरा।
2. पूर्णचन्द पुत्र जयलाल जाति खाती निवासी मोजाना तहसील भादरा।
3. इन्द्रावती पत्नी रूलीराम जाति खाती निवासी मोजाना तहसील भादरा।
4. शिवलाल पुत्र हरनन्द जाति खाती निवासी मोजाना तहसील भादरा।
5. लिलावती पत्नी सतवीरसिंह जाति खाती निवासी मोजाना तहसील भादरा।
6. छबीलाराम पुत्र हरफुल जाति खाती निवासी मोजाना तहसील भादरा।
7. सुनीलकुमार पुत्र दलीप जाति खाती निवासी मोजाना तहसील भादरा।
8. मांगेराम पुत्र दलीप जाति खाती निवासी मोजाना तहसील भादरा।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री नरेन्द्र शर्मा : **वादी**

निर्णय **दिनांकः** 14-5-2018

संक्षेप मे दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा मोजाना के खसरा सं0 42 की 3.554 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि है। उक्त खसरा सं0 42 की 3.554 है0 में वादी के दादा हरफुल के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी हुआ करती थी। हरफुल के देहान्त के बाद हरफुल के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि उसके दोनों पुत्रों छबीलाराम व दलीप को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में प्राप्त हुई तथा वादी के पिता दलीप को 1/6 हिस्सा तथा छबीलाराम को भी 1/6 हिस्सा भूमि प्राप्त हुई थी। वादी के पिता दलीप के देहान्त होने पर दलीप का 1/6 हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी मांगेराम व सुनील कुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गया। इसी अनुसार कब्जा काश्त चली आ रही है तथा शेष भूमि दीगर प्रतिवादी पक्ष के नाम से दर्ज उनके हिस्सा अनुसार दर्ज चली आ रही है। वादी के दादा हरफुल के भाई प्रतिवादी शिवलाल का भी उक्त वादभूमि 1/3 हिस्सा खातेदारी था जिसमें से उन्होने 0.304 है0 भूमि प्रतिवादी लिलावती को विक्रय कर दिया था तथा लिलावती को विक्रय करने के उपरान्त 0.880 है0 भूमि प्रतिवादी शिवलाल की शेष रही जो उनके नाम से दर्ज चली आ रही है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रतिवादी सोहनलाल के नाम से 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी पूर्णचन्द के नाम से 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी इन्द्रावती के नाम से 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी शिवलाल के नाम से 0.880 है0 सही दर्ज चली आ रही है

परन्तु वादी एवं प्रतिवादी मांगेराम, सुनीलकुमार का कुल भूमि में 1/6 हिस्सा अर्थात् 0.592 है0 की बजाय 0.076 है0 एवं प्रतिवादी लिलावती के 0.304 है0 की बजाय 0.152 है0 भूमि दर्ज हो गई है। इस प्रकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी छबीलाराम, मांगेराम, सुनीलकुमार व लिलावती के हिस्सा से कम भूमि दर्ज हो गई तथा उनके हिस्सा की शेष भूमि इसी खाता में पड़ी है जो किसी भी अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज नहीं हुई है। खाता मे दर्ज कुल भूमि एवं पक्षकारान के नाम दर्ज हिस्सा का कुल योग मेल नहीं खा रहा है। अर्थात् जिन पक्षकारान के नाम दर्ज भूमि दुरूस्त होनी है उससे किसी भी पक्षकार का हिस्सा कम होने वाला नहीं है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज गलत हिस्सकसी से वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किय जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 2, 3, 5, 7 को तर्क किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1, 4, 6, 8 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 9 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया कि वाद भूमि जिस खाता में दर्ज है, उसमें खातेदारान के नाम दर्ज भूमि एवं खाता में दर्ज कुल भूमि का मिलान नहीं हो रहा है तथा खातेदारान के नाम दर्ज हिस्सा से ज्यादा भूमि उक्त खसरा में स्थित है। इस खाता में स्थित भूमि एवं खातेदारान के नाम दर्ज हिस्साकसी मेल नहीं खा रही है तथा हिस्साकसी गलत दर्ज चली आ रही है। इस प्रकार वाद वादी खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया।

वाद एवं प्रतिवाद के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि अर्जीदावा की मद सं0 1 में वर्णित वाद भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है ? तथा वाद भूमि की बाबत खातेदारी भूमि में अपना हिस्सा दुरूस्त कराने बाबत अनुतोष चाहने का अधिकारी है ?

   — वादी

2. आया कि वादी के दादा हरफुल के फिर पिता दलीप के हिस्से में आई भूमि 1/3 में से 1/6 हिस्सा रोही मोजा मोजाना के खसरा सं0 42 में अपने हिस्से की भूमि कम होने में दुरूस्त कराने का अधिकारी है ?

   — वादी

3. आया कि वादी के अनुतोष का प्रतिवादीगण के हिस्से पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है ?

   — वादी

4. अनुतोष ?

साक्ष्य वादी में वादी ताराचन्द के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम मौजाना के खाता सं0 35/35 सम्वत् 2069—72 प्रदर्श 1, 3, व 4 प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम मौजाना के खाता सं0 38/37 सम्वत् 2061—64 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

सहायक कलक्टर
...रा(हनु.)

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा मोजाना में अपने व अपने सहकाश्तकारान के नाम दर्ज भूमि में हिस्सा दुरूस्ती हेतु वाद पेश किया है। हस्तगत प्रकरण में कायम की गई तीनों तनकीयात एक दुसरे पर आधारित है। इसलिए तीनों तनकीयात का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। वादी ने दावा के दस्तावेजी साक्ष्य में जो प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम मौजाना के खाता सं0 38/37 सम्वत् 2061–64 प्रदर्श 2 पेश की है उसमें वादी के दादा हरफूलराम व दादाभाई शिवलाल पि0 हरनन्द के नाम से 2/3 हिस्सा दर्ज है। इस अनुसार वादी व उसके भाई प्रतिवादी सं0 7 सुनील कुमार व 8 मांगेराम की 0.592 है0 व छबीलाराम का 0.592 है0 कृषि भूमि बन रही है व वादी की दादालाई सम्पति होना भी साबित है। परन्तु इसके बाद की जमाबन्दीयात में वादी व उसके भाईयों का हिस्सा गलत दर्ज चला आ रहा है एवं जमाबन्दी सम्वत् 2061–64 में ई0न0 103 दिनांक 13.07.07 की प्रविष्टि दर्ज है जिसके अनुसार शिवलाल द्वारा 0.304 है0 भूमि लीलावती को विक्रय की गई थी। जमाबन्दी ग्राम मौजाना खाता सं0 35/38 सम्वत् 2065/68 में लीलावती पत्नि सतवीरसिंह के नाम 0.304 है0 भूमि दर्ज है किन्तु इसके बाद की जमाबन्दीयात में लीलावती के नाम 0.152 है0 भूमि दर्ज हुई है इसके अलावा खाता नं0 42 में भूमि का मिलान नहीं हो रहा है खातेदार के नाम दर्ज हिस्सा से ज्यादा भूमि उक्त खसरा में स्थित है जिसकी पुष्टि प्रतिवादी सं0 9 पेरोकार राज ने अपने जबाब में की है व वाद भूमि बाबत पक्षकारान से आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया है। इस प्रकार उक्त तीनों तनकीयात वादी के पक्ष में तय की जाती है।

हस्तगत प्रकरण में तीन तनकीयात कायम की गई थी जो वादी के पक्ष में तय की जा चुकी है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा मोजाना के खसरा सं0 42 की 3. 5540 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि है में वादी ताराचन्द एवं प्रतिवादी मांगेराम, सुनील कुमार 1/6 हिस्सा अर्थात् 0.5923 है0, प्रतिवादी छबीलाराम 1/6 हिस्सा अर्थात् 0.5923 है0, प्रतिवादिया लिलावती 0.3041 है0, प्रतिवादी सोहनलाल 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी शिवलाल 0.8806 है0 के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण सं0 2 का हिस्सा 1/12 अर्थात् 0.2962 है0 व 3 का हिस्सा 1/12 अर्थात् 0.2962 है0 यथावत् रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15-5-2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 – 09/2018

अनवान :

1. ताराचन्द पुत्र दलीप पुत्र हरफुल जाति खाती निवासी मोजाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र गोपाल जाति खाती निवासी मोजाना तहसील भादरा।
2. पूर्णचन्द पुत्र जयलाल जाति खाती निवासी मोजाना तहसील भादरा।
3. इन्द्रावती पत्नी रूलीराम जाति खाती निवासी मोजाना तहसील भादरा।
4. शिवलाल पुत्र हरनन्द जाति खाती निवासी मोजाना तहसील भादरा।
5. लिलावती पत्नी सतवीरसिंह जाति खाती निवासी मोजाना तहसील भादरा।
6. छबीलाराम पुत्र हरफुल जाति खाती निवासी मोजाना तहसील भादरा।
7. सुनीलकुमार पुत्र दलीप जाति खाती निवासी मोजाना तहसील भादरा।
8. मांगेराम पुत्र दलीप जाति खाती निवासी मोजाना तहसील भादरा।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एव वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा मोजाना के खसरा सं0 42 की 3.5540 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि है में वादी ताराचन्द एवं प्रतिवादी मांगेराम, सुनील कुमार 1/6 हिस्सा अर्थात् 0.5923 है0, प्रतिवादी छबीलाराम 1/6 हिस्सा अर्थात् 0.5923 है0, प्रतिवादिया लिलावती 0.3041 है0, प्रतिवादी सोहनलाल 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी शिवलाल 0.8806 है0 के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण सं0 2 का हिस्सा 1/12 अर्थात् 0.2962 है0 व 3 का हिस्सा 1/12 अर्थात् 0.2962 है0 यथावत् रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15-5-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ